न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 57 / 2021 (2021 / 98)

अपीलार्थीपक्ष

मैसर्स करूणा डिस्ट्रीब्यूटर प्राईवेट लिमिटेड ब्रांच ऑफिस ए–4, न्यू अनाज मण्डी, भगत की कोठी जोधपुर जरिये डायरेक्टर उमाशंकर झंवर पुत्र महादेवप्रसाद झंवर, जाति माहेश्वरी आयु 30 वर्ष, निवासी 15, महावीर नगर, पोलोटेक्निक कॉलेज के पास, रेजीडेन्सी रोड़, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 908 दिनांक 24.07.2015 को तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री बाकाराम चौधरी (अपीलार्थी पक्ष)।
2. सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी (रेस्पोडेन्ट पक्ष)।

–: आदेश :– दिनांक :– 14.01.2022

श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक / कोर्ट / डीएम / 21 / 2311 दिनांक 10.12.2021 की अनुपालना में यह अपील सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 908 दिनांक 24.07.2015 ग्राम जोधपुर जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेष की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है। अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस दिनांक 13.01.2022 को सुनी गई।

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 903 / 747 रकबा 52 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ वाके मौजा सरहद जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से नारायण [illegible] औषधालय समिति जोधपुर द्वारा खरीद की गई थी बाद खरीद उक्त भूमि [illegible] अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

करवाया गया। बाद संपरिवर्तन उक्त भूमि का उपयोग संपरिवर्तन के लिये नहीं हुआ तब राज्य सरकार द्वारा उक्त संपरिवर्तन निरस्ती हेतु आवेदन करने पर श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या/राजस्व विविध/46/1995 निर्णय दिनांक 05.03.2002 से उक्त आवंटन एवं खातेदारी निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर में हुई जिसे राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भूमि राज्य सरकार के हक में प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश को दिनांक 09.01.2004 को निरस्त कर भूमि पुनः मूल खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज की जाकर राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के खिलाफ आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण खातेदार द्वारा उक्त भूमि पुनः उनकी खातेदारी में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तकरण 908 दिनांक 24.07.2015 को स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय फर्द में किस्म गै0 मु0 आबादी दर्ज कर दी गई जबकि संपरितर्वन से पूर्व उक्त भूमि कि किस्मु गै0 मु0 आबादी न होकर बारानी थी, इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीपक्ष अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि प्रार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज किस्म एवं इन्द्राज की जानकारी हाल ही में हुई जब नामान्तरकरण अधीन भूमि खसरा संख्या 903/747 रकबा 52 बीघा में से रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा 15 बिस्वांशी भूमि खरीद की गई। उक्त जानकारी के बाद उक्त नामान्तरकरण से संबंधित एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर हल्का पटवारी द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में व्यस्त होने के कारण नकल मिलने में देरी हुई तथा दिनांक 07.12.2021 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई। नामान्तरकरण संख्या 908 की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने के अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि खसरा संख्या 903/747 रकबा 52 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ वाके मौजा सरहद जोधपुर में आई हुई है। उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से नारायण धमार्थ औषधालय समिति जोधपुर द्वारा खरीद की गई थी बाद खरीद उक्त भूमि को वास्ते अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया। बाद संपरिवर्तन उक्त भूमि को उपयोग संपरिवर्तन के लिये नहीं हुआ तब राज्य सरकार द्वारा उक्त संपरिवर्तन निरस्ती हेतु आवेदन करने पर श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या/राजस्व विविध/46/1995 निर्णय दिनांक 05.03.2002 से उक्त आवंटन एवं खातेदारी निरस्त कर दी गई। उक्त निर्णय की अपील राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर में हुई जिसे राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भूमि राज्य सरकार के हक में प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश को दिनांक 09.01.2004 को निरस्त कर भूमि पुनः मूल खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय के खिलाफ सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज की जाकर राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के खिलाफ आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण खातेदार द्वारा उक्त भूमि पुनः उनकी खातेदारी में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तकरण 908 दिनांक 24.07.2015 को स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय फर्द में किस्म गै0 मु0 आबादी दर्ज कर दी गई जबकि संपरितर्वन से पूर्व उक्त भूमि कि किस्मु गै0 मु0 आबादी न होकर बारानी थी, जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है कि :—

1. ग्राम जोधपुर की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2059—2062 के खाता संख्या 242 में खसरा संख्या 903/747 रकबा 52.00 बीघा गै0 मु0 आबादी नारायण धमार्थ औषधालय समिति जोधपुर के नाम दर्ज हुआ तत्पश्चात् ना0 संख्या 1952 द्वारा बेचान से अपूर्व सिंह वगैरा के नाम खसरा नं0 903/747/1 रकबा 06 बीघा दर्ज हुआ तथा ना0 संख्या 1971 द्वारा बेचान से मैसर्स करूणा डिस्ट्रीब्यूटर्स लि0 वगैरा के नाम खसरा नं0 903/747/2 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा 15 बिस्वांशी दर्ज हुआ।
2. खसरा संख्या 747/17 (903/747) रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख क्रमांक 1139 दिनांक 15.07. 1968 के अनुसार उक्त भूमि वैद्य परमानन्द शर्मा श्री नारायण धर्मार्थ औषधालय समिति रजि0 के नाम से क्रय की थी।
3. श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 25.06.1969 के अनुसार खातेदारी भूमि को अकृषि में संपरिवर्तन किया गया। राज्य सरकार द्वारा बाद संपरिवर्तन अनवान का नामा0 492 आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब जोधपुर क्रमांक राजस्व/85/147 दिनांक 20.02.85 को स्वीकार भूमि को नारायण धर्मार्थ ओषधालय समिति जोधपुर के नाम दर्ज कर भूमि की किस्म गैर मूमकिन आबादी में दर्ज कर दिया।
4. श्रीमान जिला कलक्टर न्यायालय द्वारा अपील संख्या 46/95 निर्णय दिनांक 05.03.02 से आंवटन/संपरिवर्तन/खातेदारी निरस्त कर भूमि राजकीय भूमि दर्ज करने का आदेश दिया गया जिस पर नामा0 स0 908 दिनांक 31.10.2003 दौराने वाद स्वीकार किया गया।
5. श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के निर्णय की अपील न्यायालय आर.ए.ए. कैम्प बाड़मेर जोधपुर में अपील संख्या 35/2004 प्रस्तुत की उक्त अपील का निर्णय दिनांक 09.01.2004 को किया गया जिसमें जिला कलक्टर जोधपुर का निर्णय निरस्त कर दिया जिसकी द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर में एल/आर/1163/2004 जोधपुर का निर्णय दिनांक 23.03.2011 आर.ए.ए. जोधपुर का निर्णय यथावत रखा गया जिस पर नामा0 स0 908 दिनांक 31.10.2003 को निरस्त कर नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 3 से 7 तक दुरस्त किया गया।

Signature Not Verified

उपरोक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण में वर्णित आराजी की किस्म को गै0 मु0 आबादी से बारानी किया जाना न्यायसंगत है।

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने तथा रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है।

अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन यह है कि राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जिस प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया गया, उक्त प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग नहीं होने पर विवादग्रस्त भूमि पुनः मूल खातेदार के खातेदारी में उसी अवस्था में दर्ज होनी चाहिए जो अवस्था संपरिवर्तन से पूर्व थी अर्थात् संपरिवर्तन से पूर्व में उक्त भूमि की किस्म बारानी चतुर्थ थी। राजस्व अपील अधिकारी व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पश्चात् तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करते समय भूमि की किस्म गै0 मु0 आबादी दर्ज नहीं करके संपरिवर्तन से पूर्व की किस्म बारानी चतुर्थ दर्ज करनी चाहिए थी। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि कॉलम संख्या 05 में भूमि की किस्म बारानी चतुर्थ दर्ज कर नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 14.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested